Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

राजेन्द्र जाखड बनाम अमीचन्द आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा.........61 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री सुरजाराम शर्मा द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा रोही शेखसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 400 में 9.00 बीघा व खसरा नम्बर 404 में 27.0300 बीघा व खसरा नम्बर 406 में 33.1200 बीघा कुल रकबा 69.1500 बीघा खातेदारी कृषि भूमि पुरानी पुश्तैनी दादा पडदादा श्री गणेशाराम के नाम की पैतृक कृषि भूमि स्व0 दादा सुरजाराम पत्र गणेशाराम के नाम हैं। जो कि एक संयक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति है। जिस पर पारिवारीक व्यवस्था में अपने–अपने हिस्सा पर काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पैतृक कृषि भूमि को विरासतन ईन्तकाल दर्ज करवाकर विक्रय करने पर आमादा हैं। प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है जिसे पाने का अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 जैरवाद रकबा को विरासतन दर्ज करवाकर रहन बैय करने की फिराक में हैं। पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर मौका पर उपयोग उपभोग निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करता आ रहा हैं। दिनांक 12.03.2021 को जैरवाद रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 4–5 अन्य अजनबी व्यक्ति उक्त रकबा जरिये इकरारनामा विक्रय करने का कह रहे थें। एवं मौका पर कब्जा छोड़ने एवं बेदखल कर को कहा । अप्रार्थी संख्या 1 दलालों के माध्यम से अंतरण व विक्रय करने पर आमादा हैं। विक्रय करने की धमकी देने के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक पैदा हो गया प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। हमने प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर गौर किया। एक तरफा बहस व शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी ग्राम रोही शेखसर के खसरा नम्बर 400 में 9.00 बीघा व खसरा नम्बर 404 में 27.0300 बीघा व खसरा नम्बर 406 में 33.1200 बीघा कुल रकबा 69.1500 बीघा खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बेचान/रहन आदी नहीं करे। राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति (as on Today) बनाए रखें। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि एवं रास्तों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में कोई आपति अप्रार्थीगण को हो तो वे आगामी तारीख पेशी पर स्वयं या अपने वकील के जरिये उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 28.04.2021 को पेश हो।	[illegible] 120 26/3/21
28/04/21	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश / अन्य [illegible] आइन्दा पत्रावली दिनांक 19.05.21 को पेश हो। रीडर	
06/05/21	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र विड्रोवल में खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने करने पर पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से समझाईश से राजीनामा किया गया [illegible] प्रार्थना-पत्र जरिये विड्रॉवल खारिज [illegible] किया गया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता सुरजाराम शर्मा द्वारा की गई। लिहाजा प्रार्थना-पत्र प्रार्थी जरिये विड्रॉवल खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शामिल होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested